छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 274/2006</u>

श्री रामअवतार शर्मा,
जूटमिल, रायगढ़
जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी
   कलेक्टरेट, रायगढ़,
   (छ.ग.) .... प्रतिअपीलार्थी

2. श्री संतोष कुमार देवांगन
   नजूल अधिकारी, रायगढ़
   (छ.ग.) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 09 अक्टूबर 2006)

श्री रामअवतार शर्मा निवासी रायगढ़ के द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 24.06.2006 को प्रथम अपीलीय अधिकारी, अति. कलेक्टर, रायगढ़ के आदेश दिनांक 15.05.06 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने दिनांक 22.12.05 को जन सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि नजूल प्रकरण क्रं. 86/अ–4/91–92 पक्षकार मोहम्मद अकबर बासी, प्रकरण क्र. 2788/अ–4/91–92 सेठ करोड़ीमल ट्रस्ट, प्रकरण क्रं. 1858/अ–4/91–92 अमीचंद सूरजभान के प्रकरणों की प्रतिलिपियां प्रदान की जावे। सूचना अधिकारी के द्वारा नजूल अधिकारी को आवेदन पत्र भेजकर उक्त प्रकरणों को मांगा गया। नजूल अधिकारी रायगढ़ के द्वारा सूचित किया गया कि संबंधित प्रकरणों की खोजबीन की जा रही है, तदानुसार अपीलार्थी रामअवतार शर्मा को जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 3 जनवरी 2006 से सूचित किया गया। पुनः दिनांक 24.02.2006 को भी अपीलार्थी को प्रकरण उपलब्ध न होने की सूचना दी गई तथा सूचित किया गया कि वे इस संबंध में प्रथम अपीलीय अधिकारी, अति. कलेक्टर रायगढ़ के समक्ष सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने नजूल अधिकारी को पत्र दिनांक 15.05.2006 के द्वारा सूचित किया गया कि

अपीलार्थी को चाही गई नकल शीघ्र प्रदान की जावे। यदि नकल प्रदान नहीं की जा सकती है तो संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर को प्रकरण भेजा जावे। अपीलार्थी के द्वारा अति. कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी एवं श्री संतोष कुमार देवांगन, नजूल अधिकारी को नोटिस जारी किए गए। दिनांक 25.08.06 को वांछित जानकारी निर्धारित समयावधि में अपीलार्थी को प्राप्त न होने के फलस्वरूप आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी को 25,000/– रूपए का अर्थदण्ड क्यों न किया जावे, का नोटिस जारी किया गया।

4/ दिनांक 20.09.2006 को प्रतिअपीलार्थी श्री एस.के. देवांगन उपस्थित हुए तथा उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों तथा तर्को को आयोग के द्वारा सुना गया।

5/ अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि अनेक बार आवेदन देने के पश्चात् भी अपीलार्थी को वांछित अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदान नहीं की गई। अपीलार्थी का यह तर्क है कि जानबुझकर उसे अभिलेख की प्रतियां प्रदान नहीं की गई है इससे भ्रष्टाचार हो रहा है। अभिलेख नजूल न्यायालय प्रकरण से संबंधित है अतः नियमानुसार नजूल अधिकारी के पास अथवा कलेक्टरेट के अभिलेखागार में ही होना चाहिए। प्रतिअपीलार्थी ने अपने जवाब में यह भी बतलाया कि अपीलार्थी को नकल शाखा जिला कार्यालय में नकल हेतु आवेदन देना चाहिए था। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने वांछित अभिलेख नियमानुसार सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र देकर मांगे हैं तथा अनेक बार आवेदन पत्र भी उसके द्वारा दिया गया है। उसे नजूल अधिकारी के द्वारा एवं जन सूचना अधिकारी के द्वारा भी सूचित किया गया है कि अभिलेख नजूल नवकरण शाखा में उपलब्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नजूल प्रकरणों की लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात् उनके नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रकरण नवीन शाखा में उपलब्ध न होना आपत्तिजनक है, इससे शासन को भी आर्थिक क्षति होने की संभावना है तथा इसकी भी जांच नहीं हो सकती कि संबंधित प्रकरणों में नजूल पट्टाधारियों ने नजूल शर्तो का उल्लंघन किया है या नहीं। यह भी स्पष्ट है कि आयोग के द्वारा जब अर्थदण्ड का नोटिस जारी किया गया। उसके पश्चात् कलेक्टर के द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए आदेश दिए गए एवं संबंधित लिपिक श्री डी.पी. थवाईत के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए गए। यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में श्री एस.एन. राठौर, संयुक्त कलेक्टर नजूल अधिकारी थे, बाद में श्री ए.के. अग्रवाल आदेश दिनांक 01 अगस्त 2006 से तथा श्री अभय कुमार शुक्ला 13 सितम्बर 2006 से, को नजूल अधिकारी का प्रभार दिया गया। प्रतिअपीलार्थी श्री देवांगन जन सूचना अधिकारी ने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को अभिलेखों की नकल प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया गया तथा संबंधित शाखा से जवाब भी मांगा गया। संबंधित शाखा के

द्वारा यह बतलाये जाने पर कि अभिलेख उपलब्ध नहीं है, अपीलार्थी को दिनांक 3 जनवरी 2006, 4 फरवरी 2006, 8 फरवरी 2006 को नजूल अधिकारी के द्वारा सूचित किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि उत्तरदायित्व निर्धारित कर संबंधित लिपिक के विरूद्ध विभागीय जांच भी स्थापित की गई। प्रतिअपीलार्थी ने यह जवाब दिया है कि समय पर जानकारी न देने के लिए वे दोषी नहीं है, अतः उन पर अर्थदण्ड आरोपित न किया जावे।

6/ प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे तथा इसकी सूचना निर्धारित अवधि में अपीलार्थी को दे दी गई। सूचना अधिकारी एवं नजूल अधिकारी के द्वारा अभिलेख भेजने का प्रयास किया गया किन्तु अभिलेख न मिलने के फलस्परूप कलेक्टर के द्वारा दोषी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया गया। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं है जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी को जानबुझकर अथवा द्वेशवष रिकार्ड उपलब्ध होते हुए भी अभिलेखों की छायाप्रति प्रदान नहीं की गई। अतः जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड किये जाने का औचित्य नहीं है। अतः आयोग के द्वारा पूर्व में जन सूचना अधिकारी को 25,000/— रूपए दिये जाने की शास्ति का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है।

7/ यह अवश्य है कि अभिलेख महत्वपूर्ण हैं। यह अभिलेख कलेक्टर कार्यालय में होना चाहिए। अभिलेखों का उपलब्ध न होना यह स्पष्ट करता है कि अभिलेखों का संरक्षण उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर रायगढ़ को यह निर्देश दिया जाता है कि वे इन तीनों प्रकरणों के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करें, साथ ही, चूंकि यह अभिलेख पट्टे के नवीनीकरण से संबंधित है अतः यदि अभिलेख उपलब्ध नहीं होते हैं तो अभिलेखों का संकलन कर पुर्नगठित किया जावे।

8/ उक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की यह अपील निरस्त की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त